

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

क्रमांक..... विपक्षी..... श्रीलाल

लाह... पत्रावली संख्या 126/24 सन्.....
स मुकदमा.....

कार्यवाही विवरण हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

19/07/24 पत्रावली संख्या 114/22
(विपक्षी) स्वीकार किया जाकर इस प्रकार
की पुनः नम्बर पर लेने के आदेश
दिए जाने से फर्द रजिस्टर होकर
पेश हुई। पत्रावली वास्तु तलकी
प्रतिवादीगण दिनांक 26/09/24 को
पेश है।

26/9/24

पत्रावली संख्या 114/22
वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/
नकार/विपक्षी/रस्म उपस्थित/पीठासीन
अधिसूत्री महा. आज अवकाश/भ्रमण/पिटिंग
में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में
नंक..... 05/12/24

23/10/24 पत्रावली में अमरा के वारिस
मदनलाल, मनोहरलाल, सुन्दरकार एवं
इनके अधिवक्ता श्री कमलेश जैन द्वारा
तलकी करने पर पेश हुई। वकील अमरा
के वारिस मदनलाल, मनोहरलाल,
सुन्दरकार का वकालत पत्र अधिवक्ता
जैन द्वारा पेश किया गया। वकील अमरा
के वारिस मदनलाल, मनोहरलाल, सुन्दरकार
द्वारा अधिवक्ता पत्र वाद विद्वा के पेश किया।
अधिवक्ता वकीलगण एवं वकील अमरा के वारिस
को अधिवक्ता पत्र वाद विद्वा का पदकर सुनाया
गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार
किया। पत्रावली वास्तु आदेश दिनांक
24/10/24 को पेश है।

मदनलाल
मनोहरलाल

सुन्दरकार



Handwritten signature or initials.

24/10/24 पमावली पेशदुर। आदि. वादीगो।
 उपर। अमर वादी अमरा का वारिस जमराम
 स्वमे 34। वादी अमरा के वारिस जमराम का
 बकालत पस आदि. श्री कमलेश जैन द्वारा
 पेश किया गया। शा.पा. रही वादी अमरा
 के वारिस जमराम द्वारा वाद विद्दो का प्रा.पस
 पेश किया गया। वाद विद्दो का प्रा.पस
 का श्री जमराम स्वमे इनके अधिवक्ता को
 पककर सुनाया गया। श्री जमराम स्वमे
 इनके अधिवक्ता द्वारा सुन समझकर सही
 होना स्वीकार किया। शेष वारिसान द्वारा
 सर्व में वाद विद्दो का प्रा.पस प्रस्तुत
 कर विद्दो हेतु निर्वाहन कर चुके हैं।
 अमरा के वारिसान की पहचान इनके
 अधिवक्ता श्री कमलेश जैन द्वारा की गई।
 चूंकि वादी अमरा मौत हो चुका है तथा
 वादी अमरा के वारिसान अमरा वाद विद्दो
 कर खारिज करवाने चाहते हैं। ऐसे
 में प्रकरण को आगे चलाने का कोई
 औचित्य नहीं है। अतः वादी अमरा के
 वारिसान द्वारा प्रस्तुत प्रा.पस (वाद
 विद्दो) का स्वीकार किया जाकर वाद
 वादीगो स्वी स्तर पर छोड़ दिया
 जाकर खारिज किया जाना है।
 पमावली केसल कुमार होकर नम्बर
 से कम है।
 निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

✓
 अमर
 24/10



सहायक कलक्टर
 (SDO) पमावली